



उत्त्राव में नामी कंपनी की 47 ड्रम नकली ऑटोमोबिल यूरिया बरामद, दुकान मालिक पर मुकदमा



जागरण संवाददाता, उत्त्राव। अजगैन क्षेत्र के टोल बैरियर के पास वाहनों में पड़ने वाली टाटा ब्रांड की नकली ऑटोमोबिल यूरिया बेचे जाने की शिकायत पर कंपनी की टीम ने पुलिस की मदद से 47 ड्रम यूरिया पकड़कर पुलिस को जानकारी दी।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुकान मालिक पर मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवक खुद को श्रमिक बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार्रवाई के बाद दुकानदारों में खलबली मच गई।

यह है पूरा मामला

डीजल युक्त वाहनों से निकलने वाले धुएं से अधिक प्रदूषण फैलता है। इसे कम करने के लिए डीजलयुक्त बीएस-6 वाहनों में डीजल टैंक के बगल में ही यूरिया टैंक बनाया गया है। जो वाहनों से निकलने वाले हानिकारक धुएं से प्रदूषण को कम करता है, जिसके लिए जगह-जगह अधिकांश पंप खोले गए हैं।

इसके बाद भी कानपुर-लखनऊ हाईवे पर दर्जनों स्थानों पर ऑटोमोबिल यूरिया अवैध रूप से बिकती है। इसकी शिकायत किसी ने टाटा के अधिकारियों से की। गुरुवार को टाटा कंपनी के ईआईटीआर के अधिकारी वेदपाल सिंह ने टोल बैरियर के पास एक रेस्टोरेंट के यूरिया बेच रहे लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि पास में एक दुकान में उनकी कंपनी के नाम की नकली ऑटोमोबिल यूरिया बेची जा रही है। इस पर उन्होंने अजगैन कोतवाली को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके से 47 ड्रम नकली यूरिया बरामद की है।

प्रभारी निरीक्षक अजगैन अवनीश कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर दुकान मालिक पुष्पा पत्नी सुनील निवासी बर्सा कानपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। दुकान में काम करने वाले दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

चोरी के माल समेत वेयर हाउस के दो कर्मचारी व चालक गिरफ्तार

सोहरामऊ क्षेत्र के बजेहरा गांव में बने एक रिलायंस कंपनी के वेयर हाउस के कर्मी अमित कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा राहु के हुसैनपुर गांव निवासी राहुल यादव के

अलावा बिहार प्रांत के जनपद बाका थाना राजौर के टेकानी गांव निवासी रोशनलाल इसी वेयर हाउस में काम करते हैं।

दोनों ने वेयर हाउस के कंटेनर चालक लखनऊ बंधरा के भटगांव निवासी अजीत कुमार के साथ मिलकर चोरी की और चालक के जरिये वेयर हाउस से सामान चोरी कर बेच दिया।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों को पकड़कर पूछताछ की। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक गत्ते में 53 जोड़ी कपड़े व एक गत्ते में 10 जोड़ी जूते व चप्पल बरामद किए हैं। एसओ शरद कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा गया है।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/unnao-47-drums-of-fake-automobile-urea-of-a-famous-company-recovered-in-unnao-case-filed-against-shop-owner-23872061.html>